



न्यायालय

## सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी-अलवर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2022 / 200

दर्ज तिथि:— 23.09.2022

1. महादेव पुत्र काला उम्र 55 साल जाति मीना निवासी आगर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.....प्रार्थी

**बनाम**

1. रामचन्द्र पुत्र भगवाना उम्र 60 साल जाति गुर्जर निवासी ढाणी राणाला आगर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
2. सीताराम पुत्र कल्याण उम्र 40 साल जाति मीना निवासी कुण्डली की ढाणी आगर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
3. रामप्रताप पुत्र भौरैलाल उम्र 50 साल जाति गुर्जर निवासी ढाणी राणाला आगर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित

प्रार्थी :—श्री मोटूराम मीना ।

अप्रार्थी:— मुरारीलाल व सुभाष शर्मा ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128

राजस्थान भू-राजस्व अधि—1956

—:निर्णय:— सत्यमेव जयते

निर्णय तिथि:—09.05.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128 राजस्थान भू-राजस्व अधि—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई । प्रकरण का सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र

पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की हाल खाता संख्या 34 हाल आराजी खसरा नम्बर 595 रकबा 0.76 है0 बारानी तृतीय वाके ग्राम आगर तहसील थानागाजी जिला अलवर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थी की कब्जेकाश्त खातेदारी की सालिम आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थी काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करता चला आ रहा है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थी द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार थानागाजी के यहां प्रार्थना-पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार थानागाजी द्वारा दिनांक 27.06.2022 को मौके पर उपस्थित होकर उक्त आराजी का सीमांकन कराकर निशानदेही कराई गई। पुष्टि में दिनांक 27.06.2022 रिपोर्ट पैमाइश संलग्न है। परन्तु अप्रार्थीगण पैमाइश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थी मुताबिक पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 27.06.2022 के आधार पर आराजी की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अंत में प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया। शपथ-पत्र पेश है।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामील अप्रार्थी असालतन व वकालतन हाजिर न्यायालय हुये। अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 03 असालतन व वकालतन हाजिर न्यायालय होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाने का निवेदन किया।
3. प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी को पत्र क्रमांक कोर्ट/2023/1011 दिनांक 16.01.2023 द्वारा बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट निर्धारित चैकलिस्ट में तैयार करने हेतु लिखा गया। जिसके पटवार हल्का क्यारा ने मौके पर जाकर निर्धारित चैकलिस्ट में बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 12.04.2023 तैयार कर प्रस्तुत की गई।
4. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 27.06.2022 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है। तथा अप्रार्थी अधिवक्तागण द्वारा प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाने का निवेदन किया।
5. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:-

**111. Decision of disputes as to boundaries.** — (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall

*decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*

*(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

6. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-111 के अनुसार खसरो की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये हैं। खसरो की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-128 के तहत प्रावधान बनाये गये हैं। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:-

**128. Boundary disputes.** - *All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111 :*

**Provided that** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

7. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2075-78 वाकै ग्राम आगर में राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज एवं तहसीलदार थानागाजी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम आगर के राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज के अनुसार प्रार्थी की सहखातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 27.06.2022 से भी यह तथ्य प्रार्थी साबित है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार थानागाजी के माध्यम से हल्का पटवारी से उक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आराजी खसरा नम्बर 586 गै0 मु0 चाह, 1169 गै0 मु0 चाह व आराजी खसरा नम्बर 1148 की उत्तरी-पूर्वी सीमा को मुश्तकिल बिन्दू मानकर जरीब चलाकर 595 रकबा 0.76 है0 वाके ग्राम आगर का सीमाज्ञान कराया। मौके पर

उपस्थित लोगों के समक्ष सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थी को संतुष्ट किया गया है। साथ ही पटवारी रिपोर्ट दिनांक 12.04.2023 के अनुसार प्रार्थी का संदर्भित आराजी पर पूर्ण कब्जा साबित होता है। इस प्रकार प्रार्थी की अपनी आराजी की सीमांकन हेतु पत्थरगढ़ी के आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा-128 भू-राजस्व अधिनियम-1956 के बाबत पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल खाता संख्या 34 हाल आराजी खसरा नम्बर 595 रकबा 0.76 है0 बाराणी तृतीय वाके ग्राम आगर तहसील थानागाजी जिला अलवर पर प्रार्थी एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की उक्त खातेदारी से लगती हुई आराजी के पड़ोसी खातेदारों को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए विधिक उपबंधानुसार, अगर दीगर व्यक्ति का उक्त वर्णित आराजी पर कब्जा हो तो बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये किसी दीगर व्यक्ति को कब्जे से बेदखल नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रतिपालनार्थ हेतु तहसीलदार थानागाजी को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 09.05.2023 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
थानागाजी (अलवर)

सत्यमेव जयते